कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in
☎.:0141-2209003 Fax:0141-229003 Email: oic.relief.jpr@gmail.com

कमांकः-सहायता / 2021 / 1278 दिनांक : 3-5-2021

M/S Mars Net Computer,
24, Laxmi Nagar, Niwaru Road,
Jhotwara, Jaipur-302012
Mo. 9828674789

विषयः जिला कलक्टर (सहायता) अनुभाग में राजकीय कार्यो के सम्पादन के लिये एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं दिनांक 01.03.21 से 28.02.22 तक अनुमोदित दरों पर प्रदाय करने बाबत।

प्रसंगः जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र कमांक / संस्थापन / 2020 / 2534 दिनांक 09.11.2020 एवं कमांक / संस्था / मैन विद मशीन / 2020-21 / 1044 दिनांक 14.12.2020 एवं आपका सहमति पत्र दिनांक 10.03.21

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक कार्यादेश के अनुसरण में आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के आदेश कमांक प.3(4)आ.प्र.एवं सहा / स्था. / 2012 / 3710-14 दिनांक 09.03. 2021 के अनुसरण में सहायता अनुभाग में दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक के लिये मशीन विद मैन की सेवाऐं एजेंसी के माध्यम से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके फलस्वरूप प्रकोष्ठ में एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं अनुबंधित फर्म मैसर्स मार्स नेट कम्प्यूटर से ली जानी है। अनुमोदित फर्म द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं अनुमोदित दरों पर प्रदाय करने की लिखित सहमति प्रस्तुत की है।

उल्लेखनीय है कि जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर के पत्र कमांक / संस्थापन / 2020 / 2534 दिनांक 09.11.2020 के द्वारा शीघ्र लिपिकों के रिक्त पदों के विरूद्ध मशीन विद मैन के सेवाऐं अनुमोदित फर्म मैसर्स मार्स नेट कम्प्यूटर, 124 लक्ष्मी नगर, निवारू रोड, झोटवाडा, जयपुर के माध्यम से निम्नानुसार पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन किया गया है :-

क्र.सं.	विवरण	अनुमोदित दर प्रति मैन पावर (प्रति माह) रूपयों में (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
1	पारिश्रमिक	7774
2	E.P.F. (13%)	1011
3	E.S.I. (3.25%)	253
4	मशीन / उपकरण किराया	999
5	सेवा प्रदाता सर्विस चार्ज	225
	कुल दर प्रति मैन पावर प्रति माह	10262

अतः उक्तानुसार एक कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की सेवाऐं निर्धारित समयावधि में संविदा शर्तो के अनुसार प्रदाय कर माह समाप्ति पर बिल प्रस्तुत करें।

शर्तें:-

1. उक्त दरें समस्त प्रकार के करों एवं प्रभार सहित अनुमोदित की जा रही है। GST का भुगतान नियमानुसार ततसमय प्रभावी दरों के अनुसार अलग से देय होगा।
2. ये दरें दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक के लिये प्रभावी रहेंगी।

कार्यालय जिला कलक्टर एवम् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

www.jaipur.nic.in

☎.:0141-2209003 Fax:0141-229003 Email: oic.relief.jpr@gmail.com

3. फर्म को रूपये 500/- के नोन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर GF&AR के निर्धारित प्रारूप के अनुसार 15 दिवस के भीतर एक करार पत्र प्रस्तुत करना होगा।
4. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार श्रमिकों को भुगतान किया जाएगा एवं नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई अंशदान की राशि मजदूरी से कटौति कर जमा कराना होगा। संवेदक द्वारा अपने अगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराने की पुष्टि हेतु जमा चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर संवेदक को आगामी माह के बिलों का भुगतान किया जा सकेंगा।
5. संवेदक द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर मैन पावर की उपस्थिति प्रमाण पत्रों के आधार पर मासिक रूप से भुगतान किया जा सकेंगा।
6. इस दर अनुमोदन पत्र पर RTPP ACT 2012 and RTPP Rules 2013 नियमों के समस्त प्रावधान लागु होगें।

प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

कमांकः-सहायता/2021/1279-82 दिनांक : 9-4-2021

प्रतिलिपिः- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर, जयपुर
2. विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राज. जयपुर
3. कोषाधिकारी, जयपुर शहर।
4. वरिष्ठ लेखाधिकारी, कलेक्ट्रेट जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी सहायता
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,
नगर-दक्षिण, जयपुर

राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

एफ.3(4)आ.प्र.एवं सहा./स्था./2012/3710-14 जयपुर, दिनांक 09-3-21

प्रशासनिक स्वीकृति

राज्य के समस्त जिलों के लिए जिला इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर एवं जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सुदृढीकृत किये जाने, विभागीय वेबपोर्टल पर सूचनाओं को अपलोड किए जाने, विभिन्न आपदाओं से संबंधित सूचनाएं ऑनलाइन किए जाने एवं ऑनलाइन बजट मांग आदि हेतु एजेन्सी के माध्यम से राज्य के 33 जिलों में 01–01 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर रखे जाने की संविदा सेवाओं की अवधि दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

1. यह स्वीकृति वित्त (बजट) विभाग के के परिपत्र दिनांक 01.05.2014 में अंकित शर्तो के अध्यधीन होगी।
2. वित्त जी एण्ड टी विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 व स्पष्टीकरण दिनांक 14.11.2018 के दिशा–निर्देश एवं आर.टी.टी.पी अधिनियम 2012/आर.टी.टी.पी. नियम 2013 के प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करेगे।

उक्त पर होने वाला व्यय निम्न मद से प्राभारित होगा :–

2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

01– सूखा

800– अन्य व्यय

(03)– (राहत कार्यो पर व्यय)

(07)– [प्रशिक्षण–व्यय]

29– प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय

यह स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति संख्या 332100156 दिनांक 05.03.2021 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

(कल्पना अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–5) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।
5. लेखा शाखा (भुगतान), आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

कार्यालय का पता– खाद्य भवन, भू–तल, कमरा नं. 7007, शासन सचिवालय, जयपुर–302005, दूरभाष नं. 0141– 2227084 फैक्स नं. 0141–2227230 ई–मेल आई.डी. relief-rj@nic.in

ACP

Scanned with CamScanner